भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3123

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना

3123. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की इकाइयों के माध्यम से शुरु की गई स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के संदर्भ में अनुसूचित जातियों (एससीज) और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरा और संख्या क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में निधियों की निधि के जरिए एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी समावेशन की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुपालन में अपनी संवृद्धि करने और बड़ी इकाइयां बनने की संभाव्यता एवं व्यवहार्यता वाले एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समावेशन से आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि की स्थापना की गई है। 50,000 करोड़ रुपए की इस निधि के अंतर्गत भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए तथा प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल निधियों के जरिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 30.11.2023 तक एसआरआई निधि में से गोवा और गुजरात में अनुसूचित जाति (एससी) द्वारा संवर्धित 2 लाभार्थी कंपनियों में निवेश किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में नवोन्मेष और स्टार्ट अप्स के संवर्धन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया नामक पहल की शुरुआत की थी। डीपीआईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

****